(iv) The Forest (Conservation) Act, 1980, prohibits diversion of any forest area for non-forestry purposes and thus provides legal protection to the habitat of endangered species of fauna like the Indian elephant.

(v) Over most of its range of distribution, the elephant habitat is protected in the form of a network of national parks and sanctuaries.

(vi) The Asian Elephant Specialist Group of Species Survival Commission of the IUCN is presently engaged in ecological studies on the population and habitat of the Indian elephant and is expected to submit its final report soon. This would form the basis for a long term effective conservation programme for the Indian elephant.

राजस्थान नहर में पानी छोड़ना

1245. आचार्य भगवान देव : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर को दिए जाने के लिए पानी की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस नहर को प्रतिवर्ष पानी की कितनी मात्रा दी गई ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान नहर को दी गई जल की मात्रा रावी और ब्यास नदियों के प्रस्ताव में जल की उपलब्धता के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। राजस्थान राज्य का पूरा हिस्सा अर्थात 8 मिलियन एकड़ फुट, रावी नदी पर संचयन जलाशय के निर्मित हो जाने के बाद ही उपलब्ध होगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को दी गई वर्ष-वार जल की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मिलियन एकड़ फुट
1978–79	4.7
1979–80	3.7
1980–81	3.9

Requirement of Houses for Rural Homeless in Karnataka

1246. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the requirements of houses for the rural homeless in Karnataka;

(b) how much allocations has been made under the Sixth Plan for dealing with the problem of Karnataka State; and

(c) the allocation made for the purpose for 1981-82?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) The total number of rural landless families eligible for assistance under the Rural House Sites-cum-House Construction Assistance for landless Workers as estimated by the State Government on 31-10-80 is 10,60,852. Of this, 9,11,018 families had already been provided with house-sites and 2,59,543 families provided with construction assistance/ houses.

(b) Rs. 55.00 crores.

(c) Rs 14.50 crores.

Floods in Canara, Karnataka

1247. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) what is total loss due to recent floods in Uttar Canara in Karnataka State;

(b) whether Government are considering any proposal to harness the flood water for irrigation purposes;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have sent any central team to survey the areas in Dakshin and Uttar Canara and suggest measures for prevention of floods; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a) to (e). The Government of Karnataka has sent a memorandum along with their request for Central assistance for flood relief and restoration of damages in the State.

A Central Team is scheduled to visit the State very shortly for inspections and discussions with the State Officers on the Central Assistance to be given for the flood relief.

According to the Memorandum of the State Government, the flood damages in Uttar Kannada district are Rs. 14.37 lakhs to 2 C.D. works, 30 road works and 2 tanks.

The State Government has not made any request for a Central Team to advise them on flood control measures in Uttar Kannada and Dakshina Kannada districts.

The Government of Karnataka have not so far sent any major and medium irrigation schemes on the West flowing rivers in the State for examination by the Central Water Commission.

भारतीय खाद्य निगम की अम्बिकापुर शाखा को हुई हानि

1248 श्री केयूर भूषण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की अम्बिकापुर शाखा को हाल ही में 25 लाख रुपये की हानि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 17.5 लाख रुपये मूल्य का गेहूं रेलवे स्टेशन पर ही पड़े पड़े खराब हो गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम ने मात्र विलम्ब शुल्क के रूप में ही रेलवे को लगभग तीन लाख रुपये अदा किए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सितम्बर 1981 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा फिरोजपुर से गेहूं के 40 वैगन भेजे गए थे जोकि बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर प्राप्त हुए थे। यह स्टेशन भारतीय खाद्य निगम के अम्बिकापुर डिपो का रेल छोर है। इन में से गेहूं के 20 वैगन शुष्क क्षतिग्रस्त अनाज के प्राप्त हुए। गेहूं को हुई क्षति का अन्दाजा लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और अन्तिम रूप से मूल्यांकन, श्रेणीकरण और स्टाक के अन्तत: निपटान के बाद ही वास्तविक क्षतिग्रस्त मात्रा का पता लगेगा।

इस अवधि के दौरान निपाद से बिश्रामपुर में चीनी के 23 वेगन प्राप्त हुए हुए थे। इन वैगनों में से चीनी की कुछ बोरियां हैण्डलिंग और परिवहन ठेकेदार की असफलता के कारण और विभाग की ओर से माल उतारते और उसे भेजते समय बिश्रामपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर गीली होने से क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

(ग) से (ङ): हैण्डलिंग तथा परिवहन ठेकेदार द्वारा वैगनों से माल न उतारने और फिर स्टाक को